उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्याः 1437/सत्रह-म-2026-C.N.45507)
लखनऊः दिनांक12अगस्त, 2026

कार्यालय- आदेश

श्री नूरूस्सबूर रहमानी निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य विकास लिमिटेड लखनऊ के विरूद्ध महानिदेशक, मत्स्य उ0प्र0 के पत्र दिनांक 18.02.2026 द्वारा निगम की निविदा कराये जाने, पत्र दिनांक 20.02.2026 द्वारा जनपद-लखनऊ में स्थित मत्स्य विभाग की भूमि के संरक्षण में लापरवाही बरतने एवं पत्र दिनांक 18.09.2025 द्वारा श्री रहमानी के उप निदेशक, मत्स्य वाराणसी मण्डल, वाराणसी की पदस्थता अवधि के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की अनुदानित परियोजनाओं को स्थापित/संचालित करने में बरती गयी अनिमितताओं के सम्बंध में उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जांच आख्या/संस्तुति एवं उक्त के क्रम में श्री नूरूस्सबूर रहमानी निदेशक मत्स्य, उ०प्र० के पत्र दिनांक 13.04.2026 एवं 05.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरांत श्री रहमानी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या निम्नलिखित आरोपों में आरोपित पाया गया हैः-

(1) श्री रहमानी द्वारा जनपद सोनभद्र स्थित विभागीय जलाशय रिहन्द श्रेणी-1 की मत्स्याखेट ठेके की स्वीकृक्ति महानिदेशक मत्स्य के अनुमोदन के बगैर पत्रांक-1036/सा०शा०विभागीय जलाशय रिहन्द श्रेणी-1/2025-26 दिनाक 06.02.2026 द्वारा जारी कर दी गयी है। ''जबकि उ.प्र. शासन मत्स्य उत्पादनअनुभाग के आदेश सख्या-100/सत्रह-म-2025-17-1099/183/2019 दिनांक दिनांक 18 जनवरी, 2025 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ''शासनादेश/कार्यालय आदेश/बाय-लॉज/नियमावली व अन्य आदेशों में निर्णय के स्तर हेतु जहां निदेशक मत्स्य अंकित है, को महानिदेशक मत्स्य अंकित समझा जायेगा'', का उल्लंघन करते हुये श्री रहमानी, निदेशक मत्स्य द्वारा उक्त ठेके की स्वीकृक्ति का आदेश निर्गत कर किया गया है। संबंधित निविदा में 03 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया था जिसमे से एक निविदादाता की फाइनेंसियल बिड नाट फाउन्ड थी फिर भी निविदा की कार्यवाही कर दी गयी, जो अनुशासनहीनता एवं हठधर्मिता का द्योतक होने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता के श्रेणी में आता है।

(2) श्री रहमानी द्वारा निदेशक मत्स्य द्वारा अभिलेखीय आधार पर जनवरी, 2025 के पश्चात मत्स्याखेट हेतु दो अन्य ठेकों जनपद प्रयागराज के गुलरिहा जलाशय, श्रेणी-3 एवं जनपद बहराइच केगण्डौर जलाशय, श्रेणी-04 की स्वीकृक्ति महानिदेशक मत्स्य के अनुमोदन के बिना जारी की गयी है। उक्त कृत्य शासन के आदेशों, नीतियों एवं नियमों की अवहेलना है, जो कि विभागीय एवं शासकीय हित के विपरीत है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या-(1) एवं (2) के संबंध में श्री नूरूस्सबूर रहमानी निदेशक मत्स्य, उ०प्र० के पत्र दिनांक 05.08.2026 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर प्रकरण में तत्समय महानिदेशक, मत्स्य उ0प्र0 के अवकाश पर होने के कारण अनुमोदन प्राप्त नहीं किये जाने

आदि कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि महनिदेशक मत्स्य के अवकाश होने पर इस संबंध में शासन स्तर से परामर्श लिया जाना चाहिए था, परन्तु श्री रहमानी के ऐसा न करने से उनपर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं।

(3) श्री रहमानी द्वारा चकमल्लौरी विकास खण्ड चिनहट लखनऊ के अंतर्गत मत्स्य विभाग के कब्जे में स्थित भूमि गाटा संख्याः 16 क्षेत्रफल 0.733 हे० (खाता संख्या 63) के अमल दरामद/खारिज दाखिल एवं सीमांकन कार्य करा लिया जाना चाहिये था जिससे विभाग के नाम भूमि दर्ज हो जाती और उस पर अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती परन्तु शासन/प्रशासन के उच्चाधिकारियों के स्तर से प्राप्त निर्देशों के बावजूद भी निदेशक मत्स्य, उ०प्र० द्वारा भूमि का अमल दरामद/दरामद/खारिज दाखिल एवं सीमांकन कार्य नहीं कराया गया जबकि वर्तमान में विभाग के कब्जे में भूमि का अनुमानित मूल्य सर्किल रेट की दर से लगभग रू0 12974100.00 है जबकि बाजार मूल्य कहीं अधिक होगा। वर्ष 2024 से इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी निदेशक मत्स्य द्वारा अमल दरामद/खारिज दाखिल न कराया जाना संदेहस्पद है। श्री एन०एस० रहमानी, निदेशक मत्स्य, उ०प्र० का उक्त कृत्य विभागीय कार्य में शिथिलता का द्योतक है। उक्त कृत्य के द्वारा विभाग को वित्तीय क्षति पहुंचाने की कोशिश की गयी है।

(4) श्री एन0एस0 रहमानी, निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उप निदेशक, मत्स्य, वाराणसी मण्डल, वाराणसी में पदस्थता अवधि के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की अनुदानित परियोजनाओं को स्थापित/संचालित करने में बरती गयी शिथिलता, लापरवाही, अनिमितता आदि से शासकीय धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में पत्र दिनांक 13.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण का परीक्षण करने से प्रतीत होता है कि इनके द्वारा समय पर लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया, जिसका सत्यापन न किये जाने एवं तैनाती अवधि में सुपरविजन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की सुचारू रूप से मॉनीटरिंग न किये जाने तथा अनियमितताओं की शिकायतों के सम्बन्ध में बाद में पदस्थं अधिकारियों पर सम्पूर्ण उत्तिरदायित्व डालते हुए आरोपों से बचने का प्रयत्न किये जाने आदि आरोपों हेतु श्री रहमानी प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।

2- उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री नूरूस्सबूर रहमानी निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, मत्स्य विकास लिमिटेड लखनऊ को उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित आरोपों में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया जाता है। श्री रहमानी के विरूद्व उक्त आरोपों की जॉच के दौरान निदेशक मत्स्य के पद पर बने रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल कर प्रकरण सम्बंधी साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है तथा तथ्यों/ दस्तावेजों के साथ छेडछाड की जा सकती है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री रहमानी को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(7) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3- निलम्बन की अवधि में श्रीएन0एस0 रहमानी, निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग- 2 से 4 के मूल नियम- 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय

हैं, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महगाई भता देय नहीं होगा। जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भता अथवा महगाई भता का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था, निलम्बन की दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भते अनुमन्य हैं।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्रीएन0एस0 रहमानी, निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन अवधि में श्री एन0एस0 रहमानी, निदेशक मत्स्य कार्यालय मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर से सम्बद्ध रहेंगे।

राज्यपाल की ओर से,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 12-08-2026 18:42:02

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1437(1)/सत्रह-म-2026,तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मण्डिलायुक्त उ0प्र0 लखनऊ।
2- महानिदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव, मत्स्य, विभाग उ0प्र0 शासन।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
7- उप निदेशक मत्य्य (मु0) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8- मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारपुर।
9- सम्बंधित अधिकारी द्वारा (महानिदेशक मत्स्य) उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
12- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 12-08-2026
19:02:32

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव